

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०।
- (2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ०प्र०।
- (3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
- (4) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 2017

विषय:-पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2017-18 एवं नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2017-18 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्वशासकीय पत्र संख्या-एन०-11019/25/2017-गर्वनेन्स, दिनांक 30 जून एवं 21 जुलाई, 2017 एवं [www.panchayataaward.gov.in](http://www.panchayataaward.gov.in) पर उपलब्ध मार्ग निर्देशिका द्वारा पंचायत पुरस्कार, 2018 हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के वर्ष 2016-17 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ऑनलाइन नामांकन करने हेतु 100 अंकों वाली सामान्य तथा 20 अंकों वाली 9 विषयगत प्रश्नावलियाँ, भारत सरकार की वेबसाइट ([www.panchayataaward.gov.in](http://www.panchayataaward.gov.in)) पर इस आशय से उपलब्ध करायी गयी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2017-18 हेतु ऑन-लाइन नामांकन कर सकें।

1) भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 30 जून एवं 21 जुलाई, 2017 द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं :-

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2016-17 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरकर स्वमूल्यांकन कर दिनांक 20 सितम्बर, 2017 तक जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) किया जाना।

- जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा अनुमोदनोपरान्त चयनित प्रश्नावलियाँ स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी (SPPAC) को दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक अग्रसरित किया जाना।
- इस प्रकार ऑनलाइन भरी हुई प्रश्नावलियों के परीक्षण एवं सत्यापनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2931(1)/33-3-2015-153/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी (SPPAC) द्वारा अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 4 क्षेत्र पंचायतों एवं 2 जिला पंचायतों का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 के पूर्व उपलब्ध करायी जानी है।
- विषयगत पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा 9 विषयों का चयन किया गया है, यथा-साफ-सफाई, नागरिक सेवार्य (पानी, स्ट्रीटलाईट, बुनियादी संरचना), नवाचार के प्राकृतिक प्रबन्धन संसाधन, अधिकारहीन वर्ग की सेवार्य (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिलाओं/ वरिष्ठ नागरिक), सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन, आपदा प्रबन्धन, ग्राम पंचायतों को स्वयं सेवी संस्थाओं/सी0बी0ओ0 द्वारा दी जा रही सेवार्य, राजस्व को बढ़ावा तथा ई-गवर्नेन्स में से किसी एक विषय पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गये उत्कृष्ट कार्य के आधार पर ऑनलाइन नामांकन किया जाए।
- भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों द्वारा किसी जनपद से 2 क्षेत्र पंचायत तथा 2 ग्राम पंचायत से अधिक पुरस्कार के लिए प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।
- स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी से प्राप्त अंको के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का भारत सरकार द्वारा सत्यापन कर दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई ग्राम पंचायतों को विषयगत पुरस्कार की श्रेणी में तथा शेष पंचायतों को सामान्य पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा।
- नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2017-18 हेतु उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ अंकित कर नामांकन किया जाना है।

## 2. योजना का उद्देश्य :-

- पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।

इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2017-18 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के वर्ष 2016-17 के कार्यों के मूल्यांकन हेतु पंचायतीराज मंत्रालय की वेब-साइट ([www.panchayataaward.gov.in](http://www.panchayataaward.gov.in)) से प्राप्त 100 अंक निर्धारण अंग्रेजी वाली प्रश्नावलियाँ तथा उपर्युक्त विषयगत पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत के वर्ष 2016-17 के 9 विषयगत कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक विषयगत 20 अंक निर्धारण अंग्रेजी वाली प्रश्नावलियों का हिन्दी में अनुवाद कर उक्त हिन्दी वाली प्रश्नावलियाँ पंचायतीराज की वेब-पोर्टल ([www.panchayataaward.gov.in](http://www.panchayataaward.gov.in)) पर ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के प्रयोगार्थ उपलब्ध करायी गयी हैं, वे विगत वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत जारी की गई यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से उक्त पंचायतों की प्रश्नावलियों में दिये गये प्रश्नों को देखकर साक्ष्यों के आधार पर उत्तर भरेंगे/संस्तुति/ प्रश्नावलियाँ फ्रीज करेंगे।

3. इस निमित्त दीन दयाल पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार (विषयगत पुरस्कार) वर्ष 2016-17 की प्रश्नावलियाँ ऑन-लाइन निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेंगी :-

(1) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2016-17 हेतु सभी त्रिस्तरीय पंचायतें प्राप्त प्रश्नावलियों को ऑन-लाइन अपने स्तर से भरकर फ्रीज कर जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को अग्रसारित करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) अनुमोदित प्रश्नावलियाँ राज्य स्तर पर गठित स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसारित कर फ्रीज करेंगी। यह कार्य वेब-पोर्टल [www.panchayataaward.gov.in](http://www.panchayataaward.gov.in) के माध्यम से किया जायेगा। सचिव ग्राम पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी की यूजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत की आईडी और पासवर्ड उनके ई-मेल पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत राज की वेब-पोर्टल ([www.panchayataaward.gov.in](http://www.panchayataaward.gov.in)) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर तथा विषयगत पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत की 9 विषयगत

प्रश्नों वाली प्रश्नावलियों में से किसी एक विषयगत 20 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव, ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सहायक विकास अधिकारी की देख-रेख में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ऑन-लाइन भर कर फ्रीज की जायेंगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियाँ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परीक्षण हेतु ऑन-लाइन उपलब्ध हो जायेंगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा प्रश्नावलियों का परीक्षण/अनुमोदन कर, अनुमोदित प्रश्नावलियाँ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन-लाइन फ्रीज की जायेगी।

(3) क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में-दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब-पोर्टल ([www.panchayataward.gov.in](http://www.panchayataward.gov.in)) पर उपलब्ध क्षेत्र पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं०)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख की देख-रेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन भर कर प्रश्नावलियाँ फ्रीज की जायेगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियाँ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परीक्षण हेतु ऑन-लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा प्रश्नावलियों का अनुमोदन कर अनुमोदित प्रश्नावलियाँ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन-लाइन फ्रीज की जायेगी।

नोट- जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) से स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसरित करने वाली पंचायतों की कुल संख्या 8 ग्राम पंचायत प्रति जनपद तथा 4 क्षेत्र पंचायत प्रति जनपद से कम न हो।

(4) जिला पंचायत के सम्बन्ध में- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब-पोर्टल ([www.panchayataward.gov.in](http://www.panchayataward.gov.in)) पर उपलब्ध जिला पंचायत की 100

अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन भर कर प्रश्नावलियाँ फ्रीज की जायेंगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियाँ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन-लाइन उपलब्ध हो जायेगी।

(5) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत की सामान्य बैठक में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाने हेतु समस्त जनपदों के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों की संख्या के अनुसार समस्त जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों को नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक ऑन-लाइन उपलब्ध करायी जायेगी एवं समस्त जनपदों की जिला पंचायत की सामान्य बैठकों में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाये जाने हेतु समस्त अपर मुख्य अधिकारी उ0प्र0 को उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक ऑन-लाइन उपलब्ध करायी जायेगी अथवा सभी प्रश्नावलियाँ विभाग की वेब-साईट [www.panchayataward.gov.in](http://www.panchayataward.gov.in) पर भी उपलब्ध करा दी गई है।

(6) उपरोक्त योजना की ऑन-लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर समस्त जिला परियोजना समन्वयकों/जिला परियोजना प्रबन्धकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जो अपने जनपद के सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण को समय/ दिनांक/ स्थान निश्चित कर इन अधिकारियों को ट्रेनिंग में भाग लेने हेतु समस्त जनपदों के संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा निर्देश निर्गत कर प्रशिक्षण कराया जायेगा। जनपद के सम्बन्धित जिला परियोजना समन्वयक/जिला परियोजना प्रबन्धक प्रश्नावलियाँ भरने में ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी की सहायता भी करेंगे। इस निमित्त सम्बन्धित जनपदों के ग्राम पंचायत अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारियों को यूजर आईडी और पासवर्ड भी जारी किये जायेंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत व ग्राम सभा के वर्ष 2016-17 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर नामांकन करने हेतु 100 अंको वाली प्रश्नावलियाँ तथा इसके अतिरिक्त जिन ग्राम पंचायतों ने अतिविशिष्ट/अच्छा काम किये हैं, के आधार पर नामांकन करने हेतु 20 अंको वाली प्रश्नावलियाँ निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत भरी जायेगी (समय सारणी साथ में संलग्न)। प्रश्नावलियों को भरकर दिनांक 20 सितम्बर, 2017 तक तथा जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी

द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को पंचायतीराज की वेब-पोर्टल ([www.panchayataward.gov.in](http://www.panchayataward.gov.in)) पर उपलब्ध कराना होगा।

(7) जनपदों व विकास खण्डों से समयान्तगत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत व ग्राम सभा की ऑन-लाइन सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को, अंको के अवरोही क्रम में करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 के निर्देशानुसार निदेशालय स्तर पर निम्नवत् गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा:-

- (1) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0) पंचायती राज 30प्र0।
- (2) एक प्रशासनिक अधिकारी/खण्डाध्यक्ष पंचायती राज 30प्र0।
- (3) दो कन्सलटेन्ट (आर0जी0पी0एस0ए0) पंचायती राज 30प्र0।

उक्त कमेटी के परीक्षणोपरान्त अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों व 90 ग्राम पंचायतों व जनपदों से प्राप्त ग्राम सभा की सूची तैयार की जायेगी, तथा पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए निदेशालय स्तर पर सत्यापन दल के गठन का प्रस्ताव तैयार कर स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु सत्यापन दल को निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त पंचायतों का सत्यापन दल द्वारा सत्यापन किया जायेगा और सत्यापनोपरान्त सत्यापन दल 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों एवं 90 ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट निदेशक पंचायतीराज 30प्र0 को प्रस्तुत करेगी।

(8) सत्यापन दल की प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट का निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर, पंचायतों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अंको के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का प्रस्ताव स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात् स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का अनुमोदन कर प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक ऑन-लाइन उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) इस प्रकार कुल चयनित 36 पंचायतों का भारत सरकार द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त सूचना सही पाये जाने पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई

पंचायतों को विषयगत श्रेणी में तथा शेष पंचायतों को सामान्य श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

(10) उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2017-18 हेतु उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ अंकित कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑन-लाइन नामांकन कर दिनांक 20 सितम्बर, 2017 तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को फ्रीज की जायेगी तथा जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा अनुमोदित ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को फ्रीज की जायेगी। नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत भारत सरकार को स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी (SPPAC) द्वारा 2 अथवा 3 ग्राम सभाओं का प्रस्ताव ही उपलब्ध कराना है। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा सत्यापन कर चयनित ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जायेगा।

योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रशासनिक धनराशि को विभिन्न मदों में भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा व्यय किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया को समयान्तर्गत पूर्ण कर निम्न बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों में से 05 जिलाधिकारियों, 05 मुख्य विकास अधिकारियों, 05 जिला पंचायत राज अधिकारियों व निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर निम्न बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों की संख्या के आधार पर प्रदेश के 02 मण्डलायुक्त व 02 मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) को मानदेय स्वरूप धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा :-

क्र.	कार्यवाही बिन्दु	पूर्णांक
1	14वें एवं चतुर्थ वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित धनराशि के सापेक्ष एक्शन-साफ्ट/प्रिया-साँफ्ट पर पंचायतों द्वारा व्यय की आनलाईन फीडिंग :- <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75-90 प्रतिशत -</li> <li>• 91-100 प्रतिशत -</li> </ul>	(30)  15 30
2	वित्तीय वर्ष 2017-18 की ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान-प्लस पर शत-प्रतिशत अपलोड किया जाना।	15

3	<p>एम-एसेट के माध्यम से समस्त स्कूल एवं आंगनवाड़ी शौचालय की जी.ओ. टैगिंग :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70-80 प्रतिशत</li> <li>• 81-99 प्रतिशत</li> <li>• 91-100 प्रतिशत</li> </ul> <p>* जनपद में स्कूलों एवं आंगनवाड़ी शौचालयों की कुल संख्या विभागीय एम.पी.आर. पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।</p>	<p>(35)</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>35</p>
4	<p>ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक की स्थिति।</p>	<p>20</p>

उक्त के अतिरिक्त शासन तथा निदेशालय स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी व कन्सलटेन्ट को भी प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंचायतीराज वेबसाइट ([www.panchayataward.gov.in](http://www.panchayataward.gov.in)) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को संलग्न समय-सारिणी के अनुसार ऑन-लाइन भरकर उपलब्ध कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- डा0 दविजेन्दर कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग नई दिल्ली (पिन कोड नं0: 110001) के पत्र संख्या एन0-11019/25/2017-गर्वमेन्ट दिनांक 30 जून एवं 21 जुलाई, 2017 के क्रम में।



- 2- अपर मुख्य सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव/सचिव, प्राथमिक शिक्षा उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
- 5- आयुक्त ग्राम्य विकास 10 वां तल जवाहर भवन लखनऊ।
- 6- निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र०।
- 7- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बखशी का तालाब लखनऊ।
- 8- उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्टक सूर्यदीप काम्पलैक्स लखनऊ को इस आशय से प्रेषित व अपने अधीनस्थ जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० को अवगत कराये।
- 9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०) उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित व अपने अधीनस्थ जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० को अवगत कराये।
- 10-' गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

शासन के पत्र संख्या:- 76/2017/1717/33-3-2017/179/2016 दिनांक 30.08.2017

का संलग्नक

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार (विषयगत पुरस्कार) 2017-18 के परिवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारिणी।

क्रम सं०	गतिविधि	दिनांक
1.	प्रदेश के जिला परियोजना सं०/प्रबन्धकों को पंचायतों/ग्राम सभाओं की प्रश्नावलियों को ऑन-लाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर कन्सलटेन्ट (RGPSA) पंचायतीराज 30प्र० द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।	दिनांक 21-08-2017
2	ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत राज की वेब-पोर्टल ( <a href="http://www.panchayataward.gov.in">www.panchayataward.gov.in</a> ) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर व विषयगत पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत की 20 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं०) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑन-लाइन भरकर (Freeze) प्रेषित किया जायेगा।	दिनांक 22-08-2017 से 20-09-2017 तक
3	इस प्रकार फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर गठित अध्यक्ष/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर ऑन-लाइन राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को भरकर (Freeze) प्रेषित की जायेगी।	दिनांक 30-09-2017 तक

4	<p>क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब-पोर्टल (www.panchayataaward.gov.in) पर उपलब्ध क्षेत्र पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन भरकर प्रश्नावलियाँ भरकर (Freeze) प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>दिनांक 20-09-2017 तक</p>
5	<p>क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में- इस प्रकार फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर गठित अध्यक्ष/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर ऑन-लाइन राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को भरकर (Freeze) प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>दिनांक 30-09-2017 तक</p>
6	<p>जिला पंचायत के सम्बन्ध में-पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब-पोर्टल (www.panchayataaward.gov.in) पर उपलब्ध जिला पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर जनपद के सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन भरकर प्रश्नावलियाँ राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को भरकर (Freeze) प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>दिनांक 22-08-2017 से 20-09-2017 तक</p>
7	<p>नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा के वर्ष 2016-17 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑन-लाइन भरकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को भरकर (Freeze) प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>दिनांक 22-08-2017 से 20-09-2017 तक</p>
8	<p>जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा अनुमोदित/चयनित ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को भरकर (Freeze) प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>दिनांक 30-09-2017 तक</p>

9	निदेशालय स्तर पर जनपदों से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की प्राप्तांकों के आधार पर प्राप्त सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को अंकों के अवरोही क्रम में कर 06 जिला पंचायत, 12 क्षेत्र पंचायत और 90 ग्राम पंचायतों की सूची व ग्राम सभा की सूची निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा तैयार की जायेगी एवं सत्यापन दल गठित कर उक्त पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी/अध्यक्ष प्रमुख सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन से अनुमोदन लिया जायेगा।	दिनांक 06-10-2017
10	सत्यापन दल को पंचायतों के स्थलीय सत्यापन की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।	दिनांक 10-10-2017
11	सत्यापन दल द्वारा 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों तथा 02 जिला पंचायतों व ग्राम सभाओं का स्थलीय सत्यापन किया जायेगा।	दिनांक 12-10-2017 से दिनांक 22-10-2017 तक
12	सत्यापन दल द्वारा सत्यापन रिपोर्ट स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगी।	दिनांक 25-10-2017
13	स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) द्वारा चयनित 26 ग्राम पंचायत, 04 क्षेत्र पंचायत तथा 02 जिला पंचायत व दो या तीन ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार को ऑन-लाइन उपलब्ध कराया जायेगा।	दिनांक 30-10-2017

<http://sppac.nic.in>